रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 145] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 30, 1977/वैशाख 10, 1899

No. 145] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 30, 1977/VAISAKHA 10, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

**Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation**

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

*New Delhi, the 30th April 1977*

**G.S.R. 213(E).**—The following Proclamation by the President is published for general information.

Whereas, I, Basappa Danappa Jatti, Vice-President acting as President of India, am satisfied that a situation has arisen in which the Government of Uttar Pradesh cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India (hereinafter referred to as "the Constitution"),

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by article 356 of the Constitution and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby proclaim that I—

(a) assume to myself as President of India all functions of the Government of the said State and all powers vested in or exercisable by the Governor of that State;

(b) declare that the powers of the Legislature of the said State shall be exercisable by or under the authority of Parliament, and

(c) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary or desirable for giving effect to the objects of this Proclamation, namely:—

(i) in the exercise of the functions and powers assumed to myself by virtue of clause (a) of this Proclamation as aforesaid, it shall be lawful for me as President of India to act to such extent as I think fit through the Governor of the said State;

(ii) the operation of the following provisions of the Constitution in relation to that State is hereby suspended, namely —

so much of the proviso to article 3 as relates to the reference by the President to the Legislature of the State,

so much of clause (2) of article 151 as relates to the laying before the Legislature of the State of the report submitted to the Governor by the Comptroller and Auditor-General of India;

articles 163 and 164,

so much of clause (3) of article 166 as relates to the allocation among the Ministers of the business of the Government of the State,

article 167,

so much of clause (1) of article 169 as relates to the passing of a resolution by the Legislative Assembly of a State;

clause (1) and sub-clause (a) of clause (2) of article 174,

articles 175 to 178 (both inclusive);

clauses (b) and (c) of article 179 and the first proviso to that article,

articles 180, 181 and 182, clause (c) of article 183 and the proviso thereto,

article 185;

so much of article 186 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly,

so much of article 188 as relates to a member of the Legislative Assembly;

articles 189, 193 and 194,

so much of article 195 as relates to the salaries and allowances of Members of the Legislative Assembly;

articles 196 to 198 (both inclusive),

clauses (3) and (4) of article 199; articles 200 and 201;

so much of clause (3) of article 202 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly;

articles 208 to 211 (both inclusive);

the proviso to clause (1) and the proviso to clause (3) of article 213; and

so much of clause (2) of article 323 as relates to the laying of the report with a memorandum before the Legislature of the State,

(iii) the Legislative Assembly of the said State is hereby dissolved;

(iv) any reference in the Constitution to the Governor shall in relation to the said State be construed as a reference to the President, and any reference therein to the Legislature of the State or the Houses thereof shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed, unless the context otherwise requires, as a reference to Parliament, and, in particular, references in article 213 to the Governor and to the Legislature of the State or the Houses thereof, shall be construed as references to the President and to Parliament or to the Houses thereof respectively;

Provided that nothing herein shall affect the provisions of article 153, articles 155 to 159 (both inclusive), article 299 and article 361 and paragraphs 1 to 4 (both inclusive) of the Second Schedule or prevent the President from acting under sub-clause (i) of this clause to such extent as he thinks fit through the Governor of the said State;

(v) any reference in the Constitution to Acts or laws of or made by the Legislature of the State shall be construed as including a reference to Acts or laws made, in exercise of the powers of the Legislature of the State by Parliament by virtue of this Proclamation, or by the President or other authority referred to in sub-clause (a) of clause (1) of article 357 of the Constitution and the United Provinces General Clauses Act, 1904 (U P Act No. 1 of 1904), and so much of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), as applies to State laws, shall have effect in relation to any such Act or law as if it were an Act of the Legislature of the State.

New Delhi, B. D. JATTI,

The 30th April, 1977 Vice-President acting as President

---

[No V/11013/3/77-S&P(DV)]

New Delhi, T. C. A SRINIVASAVARADAN, Secy.

The 30th April, 1977.

---

ORDER

*New Delhi, the 30th April 1977*

**G.S.R. 214(E).**—The following Order by the President is published for general information:

In pursuance of sub-clause (1) of clause (c) of the Proclamation issued on this the 30th day of April, 1977, by me under article 356 of the Constitution of India I hereby direct that all the functions of the Government of the State of Uttar Pradesh and all the powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution or under any law in force in that State, which have been assumed by the President, by virtue of clause (a) of the said Proclamation, shall, subject to the superintendence, direction and control of the President, be exercisable also by the Governor of the said State.

New Delhi, B. D JATTI,

The 30th April, 1977 Vice-President acting as President.

---

[No V/11013/3/77-S&P(DV)]

New Delhi, T. C A. SRINIVASAVARADAN, Secy,

The 30th April, 1977.

## गृह मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1977

**सा०का०नि० 213 (अ).**—राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई निम्नलिखित उद्घोषणा सर्व-साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है :

यत: मेरा, भारत के राष्ट्रपति के रूप मे कार्य करते हुए उप-राष्ट्रपति बसप्पा दानप्पा जत्ती का समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य का शासन भारत के संविधान (जिसे इस में इसके पश्चात् "संविधान" कहा गया है) के उपबन्धो के अनुसार नही चलायी जा सकती है ;

अत:, अब मैं, संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा उस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियो का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उद्घोषणा करता हूं कि मैं.—

(क) उक्त राज्य की सरकार के सभी कृत्य और उस राज्य के राज्यपाल में निहित, तथा उनके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप मे स्वय सम्भालता हूं;

(ख) घोषित करता हू कि उक्त राज्य के विधान मंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य होंगी; और

(ग) निम्नलिखित आनुषंगिक और परिणामिक उपबन्ध करता हूं जो इस उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए मुझे आवश्यक या वांछनीय प्रतीत होते हैं, अर्थात् :—

(i) इस उद्घोषणा के उपर्युक्त खण्ड (क) के आधार पर मेरे द्वारा सम्भाले गए कृत्यो और शक्तियो का प्रयोग करने मे, मेरे लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप मे उस सीमा तक जिस तक कि मैं ठीक समझूं उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करना विधिपूर्ण होगा ;

(ii) उक्त राज्य के सम्बन्ध में सविधान के निम्नलिखित उपबंधो के प्रवर्तन को एतद्-द्वारा निलम्बित किया जाता है, अर्थात् —

अनुच्छेद 3 के परन्तुक का उतना भाग जितने का संबध राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विधान मंडल को निदेश करने से है;

अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) का उतना भाग जितने का संबंध भारत के नियत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनो को राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखे जाने से है,

अनुच्छेद 163 और 164;

अनुच्छेद 166 का खण्ड (3) का उतना भाग जितने का संबध मत्रियों के बीच राज्य सरकार के काम के आवंटन से है;

अनुच्छेद 167,

अनुच्छेद 169 के खण्ड (1) का उतना भाग जितने का सबंध राज्य की विधान सभा द्वारा सकल्प को पारित करने से है ;

अनुच्छेद 174 का खण्ड (1) और खण्ड (2) का उप-खण्ड (क);

अनुच्छेद 175 से 178 तक (जिसमें ये दोनो सम्मिलित है);

अनुच्छेद 179 के खण्ड (ख) और (ग) और उस अनुच्छेद का प्रथम परन्तुक;

अनुच्छेद 180, 181 और 182, अनुच्छेद 183 का खण्ड (ग) और उसका परन्तुक;

अनुच्छेद 185;

अनुच्छेद 186 का उतना भाग जितने का सबध विधान सभा के उपाध्यक्ष के वेतनों और भत्तो से है ,

अनुच्छेद 188 का उतना भाग जितने का संबध विधान सभा के सदस्य से है ;

अनुच्छेद 189, 193 और 194,

अनुच्छेद 195 का उतना भाग जितने का सबंध विधान सभा के सदस्यों के वेतनो और भत्तो से है ;

अनुच्छेद 196 से 198 तक (जिसमें ये दोनो सम्मिलित हैं ) ;

अनुच्छेद 199 के खण्ड (3) और (4), अनुच्छेद 200 और 201;

अनुच्छेद 202 के खण्ड (3) का उतना भाग जितने का सबध विधान सभा के उपाध्यक्ष के वेतनो और भत्तों से है ;

अनुच्छेद 208 से 211 तक (जिसमे ये दोनो सम्मिलित है) ;

अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) का परन्तुक और खण्ड (3) का परन्तुक; और

अनुच्छेद 323 के खण्ड (2) का उतना भाग जितने का सबध ज्ञापन सहित रिपोर्ट के राज्य के विधान मडल के समक्ष रखे जाने से है ,

(iii) उक्त राज्य की विधान सभा एतद्द्वारा भंग की जाती है ,

(iv) संविधान मे राज्यपाल के प्रति किसी निदेश का अर्थ उस राज्य के सबध में राष्ट्रपति के प्रति निदेश लगाया जाएगा और उस मे राज्य के विधान मडल या विधान सभा के प्रति किसी निदेश का, जहा तक उसका सबंध उसके कृत्यो और उसकी शक्तियो से है, अर्थ, जब तक कि सदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, ससद के प्रति निदेश लगाया जाएगा और विशिष्टतया अनुच्छेद 213 मे राज्यपाल और राज्य के विधान मडल या उसके सदनो के प्रति निदेश का अर्थ क्रमश.

राष्ट्रपति और ससद या उसके सदनो के प्रति निदेश लगाया जाएगा .

परन्तु इसमे की कोई बात अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155 से लेकर अनुच्छेद 159 तक (जिसम ये दोनो सम्मिलित है), अनुच्छेद 299 और अनुच्छेद 361 तथा द्वितीय अनुसूची के पैरा 1 से लेकर पैरा 4 तक (जिसमे ये दोनो सम्मिलित है) के उपबधो पर प्रभाव नही डालेगी और न राष्ट्रपति को उस खड के उपखड (i) के अधीन उस सीमा तक जहा तक वह ठीक समझे उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करने से निवारित करेगी ;

(V) सविधान मे राज्य के विधान मडल के या उसके द्वारा बनाए गए अधिनियमो या विधियो के प्रति किसी निदेश का ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो वह उन अधिनियमो और विधियो को भी समाविष्ट करता है जो इस उद्घोषणा के आधार पर संसद द्वारा या राष्ट्रपति या सविधान के अनुच्छेद 357 के खड (i) के उपखड (क) मे निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा राज्य के विधान मडल की शक्तियो का प्रयोग करते हुए बनाये गए है और संयुक्त प्रान्त सामान्य खड अधिनियम 1904 (1904 का यू पी० अधिनियम 1) और सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) का उतना भाग जितना राज्य की विधियो पर लागू है ऐसे किसी अधिनियम या विधि के बारे में इस प्रकार प्रभावी होगा मानो यह उस राज्य के विधान मडल का अधिनियम हो ।

नई दिल्ली ; बसप्पा दानप्पा जत्ती,

30 अप्रैल, 1977 राष्ट्रपति के रूप मे कार्य करते हुए उप-राष्ट्रपति ।

---

[सं० V/11013/3/77—एस० एल पी० (डी०-V)]

नई दिल्ली टी० सी० ए० श्रीनिवासवरदन, सचिव ।

30 अप्रैल, 1977

---

आदेश

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1977

**सा० का० नि० 214(अ).**—राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है ·

भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन मेरे द्वारा आज अप्रैल, 1977 के तीसवें दिन जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (i) का अनुसरण करते हुए एतद्द्वारा निदेश देता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के सभी कृत्य और संविधान के अधीन या उस राज्य में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उस राज्य के राज्यपाल में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां,

जिनको राष्ट्रपति ने उक्त उद्घोषणा के खण्ड (क) के आधार पर स्वय सम्भाल लिया है, राष्ट्रपति के अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण के अध्यधीन रखते हुए, उक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा भी प्रयोक्तव्य होगी ।

नई दिल्ली;
30 अप्रैल, 1977

बसप्पा दानप्पा जत्ती,
राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उप-राष्ट्रपति

---

[सं० V/11013/3/77—एस० एंड पी० (डी०—V)]

नई दिल्ली;
30 अप्रैल, 1977

टी० सी० ए० श्रीनिवासवरदन, सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977